न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 295 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 437

दायर दिनांक :- 18.11.2024 निर्णय दिनांक :- 11.02.2025

1. भंवरलाल पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासी सांवरीज तहसील व जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. अशोक विश्नोई पुत्र कानाराम जाति विश्नोई नि. लिखमासर तह. बाप जिला फलोदी
3. कुलदीप पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया, तहसील बाप जिला फलोदी
4. दाखा पुत्री सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
5. प्रतापाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. बंशीलाल पुत्र फूलाराम जाति विश्नोई निवासी चंद्रनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. भीखाराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. ममता पुत्री मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. मांगीलाल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. मीमराज पुत्र चैनाराम जाति विश्नोई निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
11. मोहनराम पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
12. रूखमणी पत्नि मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
13. राणाराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
14. राधा पत्नि राणाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. राधाकिशन पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. रामस्वरूप पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. लीला पत्नि दूदाराम जाति विश्नोई निवासी लिखमासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. सुखराम पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
19. समदादेवी पत्नि अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
20. सुमिता पत्नि रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी तालरिया, तहसील बाप जिला फलोदी
21. साऊ पत्नि बाबुराम जाति विश्नोई निवासी हरलाया तहसील ओसियां जिला जोधुपर
22. मनुदेवी पत्नि अशोक जाति विश्नोई निवासी तालरिया, तहसील बाप जिला फलोदी
23. मूर्ति पत्नि प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया, तहसील बाप जिला फलोदी
24. रामचन्द्र पुत्र बीरमाराम जाति विश्नोई नि. खियाणीयों की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर

—अप्रार्थीगण

11/2/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 21 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1268 रकबा 38.9954 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 24 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1268/2 रकबा 7.8671 हैक्टेयर मौजा लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 24 ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाडा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके पर गये ही अपनी ऑफिस में बैठे–बैठे ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 24 की तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 24 को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से सग्रीगेशन योजना के तहत ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 38.9954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1268/2 रकबा 7.8671 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में खातेदारों के कब्जा काश्त के वितरीत करदी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा की गई उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई है। इसलिये प्रार्थी ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 38.9954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1268/2 रकबा 7.8671 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में विधि विरूद्ध तरीके से खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 24 की और से कोई उपस्थित नहीं आये

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 38.9954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1268/2 रकबा 7.8671 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1268/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 38.9954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1268/2 रकबा 7.8671 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सु[illegible] पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)